रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2011/श्रावण 7, 1933
No. 430] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2011/SRAVANA 7, 1933

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 589(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 51 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग 1 - प्राथमिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** —(1) इन नियमों को विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण कर्मचारी (पदों की संख्या तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम अनुसूची 1 में विनिर्दिष्टानुसार प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है;

(ख) 'नियोक्ता प्राधिकरण' से अभिप्रेत है —

(i) समूह 'क' के सभी पदों के संदर्भ में, अध्यक्ष; और

(ii) अन्य सभी पदों के संदर्भ में, सचिव;

(ग) 'अनुशासनिक प्राधिकरण' से अभिप्रेत है —

(i) समूह 'क' के सभी पदों के संदर्भ में, अध्यक्ष; और

(ii) अन्य सभी पदों, के संदर्भ में, सचिव;

(घ) 'पद' से इन नियमों की अनुसूचियों में उल्लिखित कोई पद चाहे स्थायी हो या अस्थायी अभिप्रेत है।

(ङ.) 'अनुसूची' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) 'सचिव' से इस प्राधिकरण का/के सचिव अभिप्रेत हैं;

(छ) 'चयन समिति' से नियम 7 के अनुसार किसी पद में भर्ती के लिए चयन पर विचार करने के लिए गठित समिति से अभिप्रेत है;

(ज) 'इन नियमों के प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का समान अर्थ होगा जैसा कि उन्हे अधिनियम में निर्धारित किया गया है।

IndiaCode

भाग II - पदों का वर्गीकरण तथा अनुमोदित पद संख्या

4. **अनुमोदित पद संख्या :** अनुमोदित पद संख्या तथा प्रत्येक पद के संबंध में वेतनमान **अनुसूची-I** में विनिर्दिष्ट है।

5. **पदों का वर्गीकरण** - प्राधिकरण में पद निम्नानुसार वर्गीकृत होंगे:

क्र.सं.	विवरण	वर्गीकरण
1	(क) पे-बैंड-4 में रु 37400-67000 के वेतन या वेतनमान वाला पद (ख) पे-बैंड-3 में रु 15600-39100 के वेतनमान वाला पद	समूह 'क'
2	पे-बैंड-2 में रु 9300-34800 के वेतन या वेतनमान वाला पद	समूह 'ख'
3	पे-बैंड-1 में रु 5200-20200 के वेतन या वेतनमान वाला पद	समूह 'ग'

भाग-III - भर्ती का माध्यम और प्रक्रिया

6. **भर्ती का माध्यम** - (1) सभी पदों पर भर्ती केन्द्र सरकार या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में नियुक्त कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्त या अल्पकालीन संविदा आधार पर की जाएंगी।

(2) प्रत्येक पद के संबंध में भर्ती का माध्यम, वेतनमान, पात्रता, अनुभव तथा अर्हताएं अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) रिक्त पदों को प्राधिकरण द्वारा व्यापक रूप से परिपत्रित किया जाएगा।

(4) प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों का चयन चयन समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा।

(5) सभी पदों के लिए नियुक्तियां तीन वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं की जाएंगी किन्तु उक्त अवधि का विस्तार प्राधिकरण के विशेषाधिकार पर प्रत्येक एक वर्ष की आगामी अवधि के लिए किया जाएगा बशर्ते यह अधिकतम दो वर्ष के लिए होगा।

(6) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा प्राधिकरण में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष होगी।

(7) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण को किसी कर्मचारी को समय पूर्व प्रत्यावर्तन या अल्पकालीन संविदा की समयपूर्व समाप्ति का अधिकार होगा यदि उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

7. **चयन समिति** - (1) समूह 'क' के सभी पदों के चयन के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा:-

क	अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	अध्यक्ष
ख	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
ग	अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य

(2) समूह ख तथा ग के सभी पदों के चयन के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क	सचिव	अध्यक्ष
ख	नागर विमानन मंत्रालय का नामिनि	सदस्य
ग	सचिव द्वारा नामित किए जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य

(3) चयन समिति का प्रत्येक सदस्य वचन देगा कि उसके सगे-संबंधियों या रिस्तेदारों ने या कोई अन्य व्यक्ति जिसके चयन में उनका व्यक्तिगत हित है, चयन समिति द्वारा चयन के लिए विचारार्थ नहीं है।

(4) सामान्यतः चयन समिति उन्हें संदर्भित प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) किसी भी नियुक्ति को केवल इस कारण से अवैध नहीं किया जाएगा कि चयन समिति में कोई रिक्ति है।

8. चयन पैनल - (1) नियुक्ति प्राधिकरण उम्मीदवारों के गुण-दोषों के आधार पर पैनल तैयार करेगा जिसमें चयन समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(2) चयन पैनल सामान्यतः 06 माह की अवधि के लिए वैध रहेगा बशर्ते नियुक्ति प्राधिकरण, अपवादिक मामलों में, इस अवधि की वैधता को 06 और महीनों के लिए बढ़ा सकता है जिसके पश्चात चयन पैनल निष्क्रिय हो जाएगा।

9. नियुक्ति का प्रस्ताव - (1) उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव चयन पैनल में दर्शाए गए उनके नामों के क्रम के अनुसार जारी किया जाएगा।

(2) यह प्रस्ताव 04 सप्ताह की अवधि के लिए वैध रहेगा जिसके भीतर उम्मीदवार को अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा, जिसके पश्चात यह प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा : बशर्ते कि अपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकरण कार्यभार ग्रहण करने की 04 हफ्तों की इस अवधि की 04 और हफ्तों के लिए बढ़ा सकता है।

(3) नियुक्ति के प्रस्ताव में नियुक्ति से पूर्व, उम्मीदवार द्वारा पूरी की जाने वाली किसी शर्त, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाएगा।

(4) यदि नियुक्ति से पूर्व विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त को चयनित उम्मीदवार द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकरण नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस ले सकती है।

(5) जब नियुक्ति का प्रस्ताव खंड (2) में विनिर्दिष्ट रूप से समाप्त होता है या खंड (4) के अनुसार वापस लिया जाता है नियुक्ति का प्रस्ताव चयन पैनल में अगले निचले उम्मीदवार को दिया जाएगा।

भाग-IV - वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें

10. **वेतनमान तथा वेतन का निर्धारण** - (1) प्रत्येक पद के संबंध में लागू वेतनमान अनुसूची-I के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

(2) कर्मचारियों का वेतन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा लिए जा रहे समान ग्रेड पे के लिए विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित किए जाएंगे।

(3) महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, शहर प्रतिपूर्ति भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता केन्द्र सरकार में समान ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के अनुरूप लागू होगा।

(4) आवासीय दूरभाष तथा समाचार पत्र के बिलों की प्रतिपूर्ति समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार समान ग्रेड पे प्राप्त करने प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के अनुरूप लागू होगा।

(5) पेंशन या भविष्य निधि - कर्मचारी प्रमुख संगठनों में लागू पेंशन या भविष्य निधि के प्रावधानों के द्वारा शासित होते रहेंगे और प्राधिकरण का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

भाग-V चिकित्सा सुविधा

11. **बाह्य चिकित्सा** - (1) कर्मचारी स्वयं के लिए तथा परिवार के सदस्यों के लिए बाह्य चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण - इस खंड के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति "परिवार" उसी अर्थ से होगा जैसा कि केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सहायता) नियम, 1944 में निर्धारित की गई है।

(2) बाह्य चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा तैयार पैनल पर प्राधिकृत चिकित्सकों से ही प्राप्त की जाएगी।

(3) बाह्य चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति सिविल सर्विसेज (चिकित्सा सहायता) नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पैकेज दरों पर की जाएगी।

12. **अंतरंग उपचार** - (1) अंतरंग उपचार के उद्देश्य से कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होंगे और इस उद्देश्य के लिए अस्पताल, आवासन, नर्सिंग होम सुविधा आदि सहित उपचार के लागत के संबंध में कर्मचारी की पात्रता केन्द्र सरकार ने समान ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के समान लागू होगी।

(2) आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक की सलाह पर लिया जाएगा।

भाग-VI वार्षिक मूल्यांकन, अनुशासनिक कार्रवाईयां तथा दंड

13. **गोपनीय रिपोर्ट** - कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (यहां आगे इसे वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट कहा जाएगा) के मामले में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में, समय-समय पर, केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों को प्राधिकरण द्वारा ऐसे यथा आवश्यक आशोधनों के साथ स्वीकार किया जाएगा।

14. **अनुशासनिक कार्रवाईयां तथा दंड देना** - (1) आचरण अनुशासन तथा दंड दिए जाने के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण तथा अपील) नियम, 1965 के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में आवश्यक आशोधनों सहित लागू किया जाएगा।

(2) प्रत्येक मामले के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकरण नियम-3 के खंड-ड. में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

भाग-VII विविध

15. **अवशिष्ट मामले** - वे मामले जिनके संबंध में इन नियमों में कोई प्रावधान अभिव्यक्त नहीं किए गए हैं, वहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू आदेश तथा अनुदेश लागू होंगे।

16. **छूट की शक्ति** - जहां केन्द्र सरकार का विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है या शीघ्र करना है तो आदेश द्वारा लिखित रूप से कारण बताते हुए, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में छूट प्रदान की जा सकती है।

17. **बचत** - इन नियमों में कोई भी तथ्य केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षणों, आयु सीमा में रियायत तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

[फा. सं. जी-12011/001/2009-एएआई]

आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव

अनुसूची - I

क्रम सं0	पद का नाम	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	पदों की संख्या
1.	उप प्रमुख	पीबी 3 (रू.15600 - 39100 ग्रेड पे रू.7600/-)	1
2.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	पीबी 3 (रू.15600 - 39100 ग्रेड पे रू.7600/-)	1
3.	प्रधान निजी सचिव	पीबी 3 (रू.15600 - 39100 ग्रेड पे रू.6600/-)	2
4.	निजी सचिव	पीबी 2 (रू.9300 - 34800 ग्रेड पे रू.4800/-)	1
5.	सहायक	पीबी 2 (रू.9300 - 34800 ग्रेड पे रू.4600/-)	2
6.	वैयक्तिक सहायक	पीबी 2 (रू.9300 - 34800 ग्रेड पे रू.4600/-)	1
7.	आशुलिपिक	पीबी 1 (रू.5200 - 20200 ग्रेड पे रू. 2400/-)	5
8.	रिसैप्शनिस्ट एवं टेलीफोन ऑपरेटर	पीबी 1 (रू.5200 - 20200 ग्रेड पे रू. 1900/-)	1

अनुसूची - II

क्रम सं0	पद	पे बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	भर्ती का तरीका/अर्हता/अनुभव	योग्यता
1.	उप प्रमुख	पीबी 3 (रू.15600 - 39100 ग्रेड पे रू.7600/-)	केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के इन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक संविदा- (i) जो मूल विभाग/संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित कर रहे हों; या (ii) मूल विभाग में रू.6600/- के ग्रेड वेतन सहित नियमित पे बैंड 3, रू.15600 - 39100 में या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में समतुल्य वेतनमान में 5 वर्ष निरंतर सेवा में हों; और (iii) कार्मिक तथा वित्तीय प्रशासन में, अधिमानतः स्वायत्त निकायों में कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हों;	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य
2.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	पीबी 3 (रू.15600 - 39100 ग्रेड पे रू.7600/-)	केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के इन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/ अल्पावधिक संविदा- (i) जो मूल विभाग/संगठन में	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य; (ii) कम्प्यूटरों का

IndiaCode

			नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित कर रहे हों; या (ii) मूल विभाग में रू.6600/- के ग्रेड वेतन सहित नियमित पे बैड 3, रू.15600 - 39100 में या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष निरंतर सेवा में प्रधान निजी सचिव।	कार्यसाधक ज्ञान रखते हो।
3.	प्रधान निजी सचिव	पीबी 3 (रू.15600 - 39100 ग्रेड पे रू.6600/-)	केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के इन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक संविदा- (i) जो मूल विभाग/संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित कर रहे हों; या (ii) मूल विभाग में रू.4800/- के ग्रेड वेतन सहित नियमित पे बैड 2, रू.9300 - 34800 में या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में समतुल्य वेतनमान में छह वर्ष निरंतर सेवा में निजी सचिव।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य; (ii) कम्प्यूटरों का कार्यसाधक ज्ञान रखते हो।
4.	निजी सचिव	पीबी 2 (रू.9300 - 34800 ग्रेड पे रू.4800/-)	केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के इन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक संविदा- (i) जो मूल विभाग/संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित कर रहे हों; या (ii) मूल विभाग में रू.4600/- के ग्रेड वेतन सहित नियमित पे बैड 2, रू.9300 - 34800 में या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में समतुल्य वेतनमान में दो वर्ष निरंतर सेवा में वैयक्तिक सहायक।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य; (ii) कम्प्यूटरों का कार्यसाधक ज्ञान रखते हो।
5.	वैयक्तिक सहायक	पीबी 2 (रू.9300 - 34800 ग्रेड पे रू.4600/-)	केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के इन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक संविदा-	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य;

			(i) जो मूल विभाग/संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित कर रहे हों; या (ii) मूल विभाग में रू.2400/- के ग्रेड वेतन सहित नियमित पे बैड 1, रू.5200 - 20200 में या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष निरंतर सेवा में आशुलिपिक।	(ii) कम्प्यूटरों का कार्यसाधक ज्ञान रखते हो।
6.	सहायक	पीबी 2 (रू.9300 - 34800 ग्रेड पे रू.4600/-)	केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के इन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक संविदा- (i) जो मूल विभाग/संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित कर रहे हों; या (ii) मूल विभाग में रू.2400/- के ग्रेड वेतन सहित नियमित पे बैड 1, रू.5200 - 20200 में या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष निरंतर सेवा में उच्च श्रेणी लिपिक।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य; (ii) कम्प्यूटरों का कार्यसाधक ज्ञान रखते हो।
7.	आशुलिपिक	पीबी 1 (रू.5200 - 20200 ग्रेड पे रू. 2400/-)	केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के इन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक संविदा/मूल विभाग/संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित कर रहे/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में समतुल्य वेतनमान पर कार्यरत आशुलिपिक।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य; (ii) कम्प्यूटरों का कार्यसाधक ज्ञान रखते हो।
8.	रिसैप्शनिस्ट एवं टेलीफोन ऑपरेटर	पीबी 1 (रू.5200 - 20200 ग्रेड पे रू. 1900/-)	केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के इन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक संविदा/मूल विभाग/संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित कर रहे/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में समतुल्य वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य; (ii) कम्प्यूटरों का कार्यसाधक ज्ञान रखते हो।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2011

G.S.R. 589(E).—In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 51 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 [27 of 2008], the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

IndiaCode

PART I - PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.** – (1) These Rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Airports Economic Regulatory Authority Employees (number of posts and conditions of service) Rules, 2011.

(2) They shall come into on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applicability.** - These rules shall apply to the officers and staff of the Authority as specified in Schedule 1.

3. **Definitions.** - In these Rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008;

(b) "Appointing Authority" means, -

(i) in respect of all Group 'A' posts, the Chairperson; and

(ii) in respect of all other posts, the Secretary;

(c) "Disciplinary Authority" means :

(i) in respect of all Group 'A' posts, the Chairperson; and

(ii) in respect of all other posts, the Secretary;

(d) "Post" means any post whether permanent or temporary mentioned in the Schedules to these rules;

(e) "Schedule" means a Schedule to these rules;

(f) "Secretary" means the Secretary of the Authority;

(g) "Selection Committee" means a committee constituted to consider selection for recruitment to any post in accordance with rule 7 ;

(h) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively as assigned to them under the Act.

PART II – CLASSIFICATION OF POSTS AND SANCTIONED STRENGTH

4. Sanctioned Strength: The sanctioned strength and scale of pay in respect of each post shall be as specified in **Schedule I.**

5. Classification of posts. - The posts in the Authority shall be classified as follows:

S.No.	Description	Classification
1	(a) A post carrying a pay or a scale of pay of Rs. 37,400-67,000 in the Pay Band -4 (b) A post carrying a scale Rs. 15,600-39,100 in Pay Band 3.	Group 'A'
2	A post carrying a pay or a scale of pay of Rs 9,300-34,800 in Pay Band 2.	Group' B'
3	A post carrying a pay or a scale of pay of Rs 5200-20,200 in Pay Band 1.	Group 'C'

PART III - MODE AND PROCEDURE OF RECRUITMENT

6. Mode of Recruitment. – (1) Recruitment to all the posts shall be made on deputation or on short-term contract basis from amongst the persons employed with the Central Government or Central Public Sector Undertakings or Autonomous bodies.

(2) The mode of recruitment, scale of pay, eligibility, experience and qualifications in respect of each post shall be as specified in **Schedule-II**.

(3) The vacancies shall be widely circulated by the Authority.

(4) Selection of candidates in each case shall be made on the recommendations of a Selection Committee.

(5) The appointment shall be made for a period not exceeding three years for all posts but the said period may be extended for successive term of one year each subject to a maximum of two years at the discretion of the Authority.

(6) The maximum age limit for appointment shall be 56 years as on the closing date of receipt of applications in the Authority.

(7) Notwithstanding anything contained in these rules, the Authority shall have the power of premature repatriation or premature termination of the short term contract, as the case may be, of any employee if his services are no longer required.

IndiaCode

7. **Selection Committee.** - (1) For selection to all Group 'A' posts, the Selection Committee shall consist of the following, namely: -

(a)	Chairperson or a Member to be nominated by the Chairperson	Chairperson;
(b)	Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation	Member;
(c)	An expert to be nominated by the Chairperson	Member;

(2) For selection to all Group 'B and C' posts the Selection Committee shall consist of the following:

(a)	Secretary	Chairperson;
(b)	A nominee of the Ministry of Civil Aviation	Member;

(c)	An expert to be nominated by the Secretary	Member;

(3) Each member of the Selection Committee shall give an undertaking that none of his near relatives or next of kin nor any person in whose selection he has a personal interest is under consideration for selection by the Selection Committee.

(4) Selection Committee shall normally recommend a panel of two names for every vacancy referred to it.

(5) No appointment shall be invalid merely for the reason of any vacancy in the Selection Committee.

8. Select Panel. – (1) The Appointing Authority shall prepare a panel of candidates arranged in the order of their merit, namely the Select Panel, taking into consideration the recommendations of the Selection Committee.

(2) The Select Panel shall normally be valid for a period of six months: Provided that the Appointing Authority may, in exceptional cases, extend the validity thereof by a further period of six months after which the Select Panel shall cease to be operative.

9. Offer of Appointment. - (1) Offers of appointment to candidates shall be issued in the order in which their names appear in the Select Panel.

(2) An offer shall be valid for a period of four weeks within which the candidate must join service, after which the offer shall automatically lapse: Provided that in exceptional cases, the Appointing Authority may extend the joining period of four weeks by a further period of four weeks.

(3) The offer of appointment shall specify the conditions, if any, required to be fulfilled by the candidate, prior to appointment.

(4) The Appointing Authority may withdraw the offer of appointment if the selected candidate fails to fulfill any of the conditions specified prior to appointment.

IndiaCode

(5) Where an offer of appointment lapses in the manner specified in clause (2) or is withdrawn as per clause (4), an offer of appointment may be made to the candidate next below in the Select Panel.

PART IV – PAY, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE

10. Scale and Fixation of Pay. – (1) The scales of pay applicable in respect of each post shall be such as are set out in **Schedule I.**

(2) The pay of an employee shall be fixed in the manner specified for the employees of Central Government drawing equivalent grade Pay.

(3) Entitlement of Dearness Allowance, House Rent Allowance, Transport Allowance, Deputation Allowance, City Compensatory Allowance, Leave Travel Concession, Leave, Travelling Allowance/Daily Allowance shall be as applicable to the employees drawing equivalent grade Pay in the Central Government.

(4) Entitlement of residential telephone and reimbursement of newspapers bills shall be as specified by the Central Government, from time to time, for the employees drawing equivalent grade Pay.

(5) Pension or Provident Fund – The employees shall continue to be governed by the provisions of Pension or Provident Fund as applicable in the lending organisation and the Authority shall have no liability on this account.

PART V -MEDICAL FACILITIES

11. Outdoor Treatment. – (1) The employees shall be eligible to get reimbursement of outdoor medical expenses for self and members of family.

Explanation – For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(2) The outdoor treatment shall be taken from the authorised medical practitioner on the panel to be maintained by the Authority.

(3) The reimbursement of Outdoor medical expenses shall be at package rates specified under Civil Services (Medical Attendance) Rules.

12. Indoor Treatment. - (1) For the purpose of indoor treatment the employees shall be entitled for medical treatment at Hospitals empanelled by the Ministry of Health and Family Welfare and for this purpose entitlement in respect of cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as applicable to the Central Government employees drawing equivalent grade pay.

(2) Treatment at Hospitals empanelled by the Ministry of Health and Family Welfare, may be taken on the advice of the authorised medical attendants of the Authority except in case of emergency.

IndiaCode

PART VI – ANNUAL ASSESSMENTS, DISCIPLINARY PROCEEDINGS AND PENALTIES

13. Confidential Reports. - In the matter of Annual Confidential Reports (herein after known as "Annual Performance Appraisal Report") of the employees, the instructions issued by the Central Government, from time to time, in respect of Central Government employees shall be adopted by the Authority with such modifications as may be considered necessary.

14. Disciplinary Proceedings and imposition of penalties. – (1) In the matter of Conduct, Discipline and imposition of penalties, the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Control, Classification and Appeal) Rules, 1965 and the instructions issued by the Central Government, from time to time, shall apply with such modifications as the Authority may in this behalf specify.

(2) The Disciplinary Authority in respect of each case shall be as specified in clause (c) of rule 3.

PART VII - MISCELLANEOUS

15. Residuary matters. - The matters in respect of which no express provision has been made in these rules, the orders and instructions, as are applicable to the Central Government employees shall apply.

16. Power to Relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.

IndiaCode

[F. No. G-12011/001/2009-AAI]

ALOK SINHA, Jt. Secy.

SCHEDULE - I

S.No.	Name of the Post	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	Number of posts
1.	Deputy Chief	PB 3 (Rs 15600 – 39100 Grade Pay Rs 7600)	1
2.	Senior Principal Private Secretary	PB 3 (Rs 15600 – 39100 Grade Pay Rs 7600)	1
3.	Principal Private Secretary	PB 3 (Rs 15600 – 39100 Grade Pay Rs 6600)	2
4.	Private Secretary	PB 2 (Rs 9300 – 34800 Grade Pay Rs 4800)	1
5.	Assistant	PB 2 (Rs 9300 – 34800 Grade Pay Rs 4600)	2
6.	Personal Assistant	PB 2 (Rs 9300 – 34800 Grade Pay Rs 4600)	1
7.	Stenographer	PB 1 (Rs 5200 – 20200 Grade Pay Rs 2400)	5
8.	Receptionist cum Telephone Operator	PB 1 (Rs 5200 – 20200 Grade Pay Rs 1900)	1

Schedule II

S. No.	Post	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	Mode of recruitment/ Eligibility/ Experience	Qualification
1	Deputy Chief	PB-3, Rs.15600-39100 with grade pay Rs. 7600	Deputation / short term contract from amongst the Officers of the Central Government/Central Public Sector Undertakings / autonomous bodies. - (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Department/organisation; or (ii) with five years continuous service in the regular PB-3, Rs. 15600-39100 with grade Pay Rs. 6600 in the parent Department or equivalent scale of pay in Central Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies; and (iii) possessing adequate experience in personnel and financial administration, preferably having experience of function in autonomous bodies.	Graduate from a recognized University or equivalent
2	Senior Principal Private Secretary	PB-3, Rs.15600-39100 with grade pay Rs. 7600	Deputation / short term contract from amongst the Officers of the Central Government/Central Public Sector Undertakings / autonomous bodies: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Department/organisation; or (ii) Principle Private Secretary in the PB-3, Rs. 15600 – 39100 with grade pay Rs. 6600 with five years continuous service in the grade in the parent Department or equivalent scale of pay in Central Public Sector Undertakings /autonomous bodies.	(i) Graduate from a recognized University or equivalent; and (ii) Possessing working knowledge of computers.
3	Principal Private Secretary	PB-3, Rs. 15600-39100 with grade pay Rs. 6600	Deputation / short term contract from amongst the Officers of the Central Government/Central Public	(i) Graduate from a recognised University or

			Sector Undertakings / autonomous bodies: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Department/organisation; or (ii) Private Secretary in the PB-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 with six years continuous regular service in the grade in the parent department or equivalent scale of pay in Central Public Sector Undertakings/ autonomous bodies.	equivalent; and (ii) Possessing working knowledge of computers.
4	**Private Secretary**	PB-2, Rs 9300 – 34800 with grade pay Rs 4800	Deputation/ short term contract from amongst the Officers of the Central Government/Central Public Sector Undertakings / autonomous bodies: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Department/organisation; or (ii) Personal Assistant with two years continuous service in the PB 2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4600 in the parent Department / equivalent scale of pay in Central Public Sector Undertakings /autonomous bodies.	(i) Graduate from a recognised University or equivalent; and (ii) Possessing working knowledge of computers.
5	**Personal Assistant**	PB 2, Rs 9300 – 34800 with grade pay Rs 4600	Deputation /short term contract from amongst the Officers of the Central Government/Central Public Sector Undertakings / autonomous bodies: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Department/organisation; or (ii) Stenographers with three years continuous service in PB-1, Rs. 5200-20200 with grade pay Rs.2400 in the parent Department /equivalent scale of pay in Central Public Sector Undertakings /autonomous bodies.	(i) Graduate from a recognised University or equivalent; and (ii) Possessing working knowledge of computers.

6	**Assistant**	PB 2, Rs 9300 – 34800 with grade pay Rs 4600	Deputation / short term contract from amongst the Officers of the Central Government/Central Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies, - (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Department/organization; or (ii) Upper Division Clerk with three years continuous service in the pay scale of PB-1(Rs. 5200-20200 grade pay Rs. 2400) in the parent Department/equivalent scale of pay in Central Public Sector Undertakings /autonomous bodies.	(i) Graduate from a recognised University or equivalent; and (ii) Possessing working knowledge of computers.
7	**Stenographer**	PB-1, Rs 5200 – 20200 with grade pay Rs 2400	Deputation/ short term contract from amongst the Stenographers of the Central Government/Central Public Sector Undertakings / Autonomous bodies holding analogous posts on continuous basis in the parent Department/ equivalent scale of pay in Central Public Sector Undertakings /autonomous bodies.	(i) Graduate from a recognised University or equivalent; and (ii) Possessing working knowledge of computers.
8	**Receptionist cum Telephone Operator**	PB-1, Rs 5200 – 20200 with grade pay Rs 1900	Deputation / Short term contract from amongst the officials working in the Central Government/Central Public Sector Undertakings / Autonomous Bodies holding the post of Lower Division Clerk or equivalent on continuous basis in the parent Department or equivalent scale of pay in Central Public Sector Undertakings /autonomous bodies.	(i) Graduate from a recognised University or equivalent; and (ii) Possessing working knowledge of computers.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.